भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4516

दिनांक 19 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चे

4516. श्रीमती प्रतिमा भौमिकः
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरेः
श्री सुनील कुमार सिंहः
श्री देवजी पटेलः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों सहित लाभार्थियों की कुल संख्या क्या है और आईसीडीएस के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों के लिए पके भोजन के वितरण के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में बड़ी संख्या में झूठे/छदम लाभार्थियों की पहचान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसे झूठे/छदम लाभार्थियों की संख्या क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गतझूठे/छदम लाभार्थियों को बाहर निकालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : अम्ब्रेला समेकित बाल विकास स्कीम के अन्तर्गत् आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत यथा दिनांक 31 मार्च,2019 को नामांकित बच्चों सहित कुल लाभार्थियों की संख्या और वर्ष (2018-19) के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम हेतु निर्मुक्त निधियां इस प्रकार हैं :

पूरक पोषण के लाभार्थि			पूरक पोषण कार्यक्रम (2018-19) के लिए जारी निधि रूपए लाखों में
कुल बच्चे (6 माह – 6 वर्ष)	गर्भवती महिलाएं तथा स्तनपान कराने वाली माताएं	कुल लाभार्थी	
7,03,74,122	1,71,86,549	8,75,60,671	8,47,591,84

(ख) से (घ) : मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । पूरक पोषण कार्यक्रम एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जाता है । आंगनवाड़ी सेवाएं स्कीम के तहत लाभार्थियों की पहचान आधार कार्ड, जिसे सेवाओं की प्रदायगी या लाभों के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में प्रयोग किया जाता है, के आधार पर की जाती है जिससे पारदर्शिता और दक्षता आती है तथा लाभार्थियों को अपने हक लेने के लिए सक्षम बनाती है ।

जिन लाभार्थियों के पास आधार कार्ड नहीं होता है, उनकी सहायता इसे प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा की जाती है । जब तक उन्हें आधार कार्ड मिले, उन्हें आंगनवाड़ी सेवाएं वैकल्पिक पहचान दस्तावेज के आधार पर प्रदान की जाती हैं ।

*****